भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली

2014 का परीक्षा परिपत्र सं.13

सं. 911/45- परीक्षा /परिपत्र/पूरक -15/2012
दिनांकः-14.11.2014

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए,शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- फरवरी/मार्च 2015 पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं का आयोजन।

महोदय/महोदया,

स्टाफ नियुक्ति विंग के पत्र संख्या 938-स्टाफ (नियुक्ति-I)/25-2011 दिनांक 24-11-2011 के माध्यम से जारी परिपत्र संख्या 34-स्टाफ (नियुक्ति-I)/2011 के अनुसार पूरक एसएएस परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च में आयोजित होनी चाहिए। तद्नुसार अगली पूरक परीक्षा फरवरी/मार्च 2015 में आयोजित की जायेगी। पूरक एसएएस परीक्षा के साथ फरवरी/मार्च 2015 में पूरक राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन और सीपीडी-I परीक्षा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। तिथि बाद में सूचित की जायेंगी। अभ्यर्थियों का ऑन-लाइन पंजीकरण 03-12-2014 से 15-12-2014 तक होगा।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

(एस आर धल)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सख्या.880/प्र.नि.(परीक्षा)/परिणाम/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I अगस्त/ 2014
दिनांकः-19/09/2014

2014 का परिपत्र संख्या 12

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/ एनएएए, शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- अगस्त, 2014 में आयोजित एस.ए.एस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं का परिणाम

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि 01-08-2014 से 08-08-2014 तक आयोजित की गई अगस्त 2014 एस.ए.एस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं का परिणाम घोाित हो चुका है। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया परिणाम तथा गणना कार्ड निम्नलिखित वेब लिंक, http:// examreg. cag.gov. in/ cag_admin/ और http://saiindia. gov.in/ english/home/about_us/Other Wings/ Examination/ Result/Result. html से डाउनलोड करें।

यूजर आईडी तथा पासवर्ड वही है जैसा अभ्यर्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्षों को भेजा गया था। हस्ताक्षरित ठोस प्रति अलग से भेजी जा रही है।

भवदीय,
हस्ता/-
(एस.आर.धल)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

डायरी संख्या 528/ परीक्षा/2014 दिनांक 17-07-2014

कृपया पृष्ठ 226c पर विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

प्रधान महालेखाकार (आ.एवं सा.क्षे.ले.प.) उडीसा भुवनेश्वर से श्री कैलाश चन्द्रा सामान्तरे को राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा पास करने के लिए आरएई प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध।

सरकारी कर्मचारी का विवरण जिसमें आयकर अधिनियम 1961 में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में होना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध का आवेदन किया है। निम्नलिखित प्रकार हैः-

श्री श्री कैलाश चन्द्रा सामान्तरे इंडेक्स संख्या 3472005 पास होने का वर्ष नवंबर 1992 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आ.एवं सा.क्षे.ले.प.) उडीसा भुवनेश्वर ।

इस कार्यालय में उपरोक्त उल्लिखित कर्मचारी के अनुरक्षित विवरण सही है।

उपरोक्त के संबंध में यदि अनुमोदन हो तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 (2) (V) के अंतर्गत और दिनांक 20-11-1991 के परिपत्र संख्या 20 के अनुसार अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सूचित कर दिया जाये।

प्रारूप पत्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संख्या /07-परीक्षा /2007/खंड-II

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (आ.एवं सा.क्षे.ले.प.)
उडीसा,
भुवनेश्वर - 751001

विषय: - राजस्व लेखापरीक्षा मे योग्यता प्राप्त अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी के संदर्भ में ।

महोदय ,

आपके कार्यालय के पत्र सं. Admn /(E&RSA) /4-7/RAE. /2014-15/463 दिनांक 07- 07-2014 .के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्रा सामान्तरे, (सेवा निवृत वरि.ले.प. अधिकारी) की विवरणिका सत्यापित कर ली गयी हैं । अत: इन्हे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 (2) (5) के अन्तर्गत आयकर अधिकारियों के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण - पत्र जारी कर दिया जाए ।

भवदीय,

(राम पाल)
वरि.प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

C - 10

C - 10

C - 10

C-10

C-10

C - 10

C - 10

C - 10

C-10

C-10

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह, जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110124

परीक्षा अनुभाग

2014 का परिपत्र सं. 09

सं. 396/35- परीक्षा /2008 /V
दिनांकः- 01-05-2014

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(अधीनस्थ कार्यालयों सहित) आर टी आई/आर टी सी/एनएएए/आईसीसा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- अगस्त 2014 में आयोजित होने वाली निर्धारित अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए छूट स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय एंव भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96 - स्था., (आरईएस) खण्ड-II के अन्तर्गत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने अगस्त 2014 में आयोजित होने वाली निर्धारित अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को अनुमत की जाने वाली छूट की सीमा के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि छूट की सीमा निम्न प्रकार होगीः-

अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा, परीक्षा के समूह–I और II के सभी प्रश्न पत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, उन परीक्षार्थियों को जो विशेष प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नही करते हैं, को उस प्रश्न पत्र में छूट के साथ-साथ उत्तीर्ण घोषित करने के लिए 5 प्रतिशत तक अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त छूट केवल अगस्त 2014, में अयोजित होने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, परीक्षा के लिए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की छूट की सीमा का निर्धारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व किया जायेगा।

इस छूट के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु. ज. जा. परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त छूट के बारे में सूचित कर दिया जाए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेंजे।

भवदीय
हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय,10 बहादुर, शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या.388/45-परीक्षा/परिपत्र/अगस्त 2014/2010/ खण्ड-III
दिनांक: - 29-04-2014

2014 का परिपत्र संख्या 08

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय
आर.टी.आई/ आर.टी.सी/ एन.ए.ए.ए. शिमला/आई सी आई एस ए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय: - अगस्त, 2014 अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एस ए एस.)/राजस्व लेखापरीक्षा/ प्रोत्साहन परीक्षा एवं सतत् व्यवसायिक विकास (सीपीडी-I) परीक्षाएँ

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि पी.सी.-I, भाषा कौशल के हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक एस.ए.एस.परीक्षा, अगस्त, 2014 में परीक्षा देने के लिए कस्टमाईजड ले आउट की बोर्ड "रैमिंगटन" के साथ आम तौर पर प्रयोग होने वाला "अक्षर" फोन्ट उपलब्ध होगा। यही पहले से ही सी.ए.जी की बेबसाइट पर पी.सी-I भाषा कौशल के अभ्यर्थियों को अभ्यास के लिए डेमो टैस्ट में अपलोड किया हुआ है। डेमो टेस्ट वेबसाइट http://cbexams.com/cagdtest, पर मार्ग About Us > Other Wings > Examination. द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। पीसी-4/आईई-4 सूचना तकनीकी (व्यवहारिक) एवं पीसी-I भाषा कौशल पेपर अगस्त 2014 एसएएस/प्रोत्साहन परीक्षा के लिए आपरेटिंग सिस्टम तथा साफ्टवेयर क्रमशः "विंडो एक्सपी" एवं "एम एस ऑफिस 2003" होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को इसके अनुसार प्रशिक्षण देना चाहिए। यह दोहराया जाता है कि अभ्यर्थियों को सी.बी.टी.मोड द्वारा परीक्षा से परिचय कराने के लिए, पी.सी.-I भाषा कौशल के भाग "ब" (मसौदा तथा लेखन योग्यताएं) सहित संबंधित पेपरों में अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें।

इस के अतिरिक्त सीबीटी मोड में परीक्षा देते समय टैब एवं कन्ट्रोल कीज, कट, कापी एवं पेस्ट कमान्ड्स को प्रश्न-पत्र की परीक्षा के समय निष्क्रिय कर दिया जायेगा। टूल बॉक्स में दर्शाया गया इन्डेन्ट बटन का प्रयोग पैरो के बीच की जगह बढ़ाने या घटाने में किया जाता है जैसा कि अनुदेशों में इंगित है। पी.सी.-4/आई.ई-4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक)प्रश्न-पत्र में भी शार्ट कट कीज़ जैसे Ctrl Key भी निष्क्रिय रहेगी।

अगस्त, 2014 की एस.ए.एस./आई.ई. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित किया जाये।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय
हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय 10, बहादुर शाह, जफर मार्ग, नई दिल्ली 110124

परीक्षा अनुभाग

पत्र सं.383/02-परीक्षा/कार्यक्रम/वार्शिक/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I/2014 का हिन्दी संस्करण
दिनांकः 25/04/ 2014

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालय

वियः- लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एसएएस (सिविल लेखा) परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग द्वारा विभिन्न लेखा एवं हकदारी कार्यालयों से लेखा कार्यालयों के अभ्यर्थी जो पहले ही सिविल लेखापरीक्षा शाखा से परीक्षा दे चुके हैं क्या वे एसएएस परीक्षा की सिविल लेखा शाखा से परीक्षा दे सकते हैं, का स्पटीकरण मांगा जा रहा है। इस संबंध में, स्टाफ विंग ने निम्नलिखित स्पटीकरण जारी किया है, जो कि उन सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के संबंध में लागू है जहाँ अगस्त 2014 एसएएस (लेखा) परीक्षा आयोजित हुई हैः-

(अ) लेखा एवं हकदारी कर्मचारी जो पूर्व में सिविल लेखापरीक्षा परीक्षा में सम्मिलित हो चुके है परन्तु अनुत्तीर्ण रहे, उन्हे सिविल लेखा शाख परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तथापि उनके एस.ए.एस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा में प्रयोग आये अवसरो को उनके शेा अवसरो के साथ गिना जायेगा। पुनः वे सिविल लेखापरीक्षा परीक्षा में तब तक सम्मिलित नही होंगे जब तक मूल कार्यालय में सिविल लेखा परीक्षा खुली है।

(ब) लेखा एवं हकदारी कर्मचारी जिन्होने एस.ए.एस. सिविल लेखापरीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वर्तमान में लेखापरीक्षा कार्यालय में सम्भव समावेशन के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं उनको एस.ए.एस (सिविल लेखा) परीक्षा में बैठने की अनुमति नही है।

(स) लेखा एवं हकदारी कार्यालय के एस.ए.एस (सिविल लेखापरीक्षा) उत्तीर्ण कर्मचारी जिनका लेखापरीक्षा शाखा में समावेशन नही हुआ है उनको सहायक लेखा अधिकारी में पदोन्नति के लिए एस.ए.एस (सिविल लेखा) के शेा प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करना होगा। तथापि ऐसे कर्मचारियों को एस.ए.एस (सिविल लेखा) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लिखित वचन देना होगा कि वे किसी भी लेखापरीक्षा कार्यालय में समावेशन के लिए अपने दावे को छोड देगे। पुनः उनके एस.ए.एस (सिविल लेखापरीक्षा) में प्रयोग में आये सभी अवसरो को शेा अवसरो के साथ गिना जायेगा।

2. इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए ताकि पात्र अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित किया जाये।

3. कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

हस्ता/-

कर्ण सिंह)

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय 10, बहादुर शाह, जफर मार्ग, नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

2014 का परिपत्र संख्या. 07 जो कि पत्र संख्या. 263 /45-परीक्षा / परिपत्र/ अगस्त 2014/2010 खण्ड - III./ दिनांक: - 11 - 04 - 2014 के अन्तर्गत जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद।

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए, /आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)
(विदेशों में स्थित लेखापरीक्षा कार्यालयों को छोड़कर)

विषय: -अगस्त 2014 में होने वाली एस ए एस./आर.ए./आई/सी.पी.डी.-I परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश और परीक्षा केन्द्रों की सूची।

महोदय/महोदया,

जैसा कि परीक्षा अनुभाग के 2014 के परिपत्र संख्या 05 जो कि पत्रांक सं.130-02-परीक्षा/प्रो. /एस.ए.एस/आर.ए/आई/ सी.पी.डी/अगस्त 2014 दिनांक 28-02-2014 के अन्तर्गत जारी किया गया था के द्वारा पहले सूचित किया गया था कि वार्षिक एस.ए.एस/आर.ए./आई/सी.पी.डी- I परीक्षाये अगस्त 2014 में आयोजित होगी। परीक्षाओं का तिथि पत्र बाद में जारी किया जायेगा।

2. उपरोक्त परीक्षाओं के लिए सम्भावित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 21-04-2014 से 06-05-2014 तक होगा। क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन है इसमें की गई प्रविष्टियों के साथ पंजीकरण को पुनः खोले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए महत्व दिया जाता है कि अभ्यर्थियों के विवरणों की यथातथ्यता का सत्यापन एवं सुनिश्चय सेवा पुस्तिका और इस सम्बन्ध में दूसरे अभिलिखों से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाता है तो अवसर को उसका उपयोग किए जाने के समान माना जाएगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का ऑन लाइन पंजीकरण संबंधित संवर्ग नियन्त्रित कार्यालयों, में उनके आवेदन पत्रों को भरवाकर पंजीकृत किया जाना है। सम्बन्धित कार्यालयों के वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (प्रशासन) अथवा वरिष्ठ लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा/ लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन) को अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना है तथा अभ्यर्थियों के विवरणों की यथातथ्यता को सुनिश्चित करना है। इससे न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी बल्कि पंजीकरण में दुहरीकरण से बचाव होगा और यह निवेश नियन्त्रण के रूप में कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्टरनेट की सुविधा सहित एक या अधिक समर्पित कम्प्यूटरों को पृथक/उद्दिष्ट करना चाहिए।सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण तथा अभ्यावेदन के अनुमोदन, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, के लिए कूटशब्द उत्पन्न किये जा चुके हैं और अलग से सम्प्रेषित किए जा रहे है।

अति महत्वपूर्ण

4. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने के बाद भी अपूर्ण/गलत/विलम्बित पंजीकरण के कुछ मामले देखने में आये हैं। **अयोग्य अभ्यर्थियों के पंजीकरण के मामले प्रकाश में आये है**। पंजीकरण विवरणों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के समय समूह I या समूह II या दोनो समूहो के लिए आवेदन पत्र किया या खाली छोड़ दिया तथा अन्तिम क्षणों में समूह परिवर्तन करने की प्रार्थना की। कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के समय कुछ प्रश्न पत्रों में छूट का दावा नही किया तथा पंजीकरण के समापन के बाद या प्रवेश पत्र जारी करते समय छूट का दावा किया। **इनसे यह संकेत मिलता है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थन का अनुमोदन करते समय अभ्यर्थियों के विवरणों की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ठीक से जाँच नहीं की गई है।** इसे नही दोहराया जाना चाहिए।

इसलिए कृपया अन्य बातों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए किः-

(i) अभ्यर्थी का पूरा नाम और उसका पितृत्व सेवा पुस्तिका के अनुरूप ही दर्ज किया गया है। सभी विवरणो की पूर्ण जाँच के बाद अभ्यर्थियों का पंजीकरण प्रशासन द्वारा अनुमोदित/प्रस्तुत किया जाना है। विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करे कि भरे गये विवरण पूर्ण तथा सही है एवं केवल पात्र अभ्यार्थियों का पंजीकरण किया गया है

(ii) अभ्यर्थी के ब्यौरों की विधिवत जाँच कर ली गयी हैः विशेष रूप से सूचकांक संख्या/वर्ष / शाखा जिसमें कि वह बैठा/बैठी है, पदनाम और छूट का दावा। एस.ए.एस./एस.ओ.जी.ई. तथा नॉन एस.ए.एस से संबंधित छूट के दावो का विवरण ठीक ठीक फील्ड़ में भरे गये है।
मुख्यालय कार्यालय को छूट की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा का वर्ष जिसमें छूट सुरक्षित/अर्जित करी हो सदा उल्लिखित करें।

(iii) ऑन-लाइन पंजीकरण प्रपत्र में अभ्यर्थियों का "यूनीक आईडी नंबर" (यूआईडीएन) भरने के लिए स्थान बनाया गया है। "यूआईडीएन" आवंटित करना पत्र संख्या 315-एन.जी.ई (नियुक्ति)/11-2004 दिनांक 11-05-2005 के माध्यम से जारी द्वारा मुख्यालय परिपत्र संख्या 35-एन.जी.ई/2005 के द्वारा अपेक्षित था। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कैडर कंट्रोलिंग कार्यालय द्वारा आबंटित "यूनीक आईडी नंबर" परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण के समय भरे जाये।

(iv) यदि वांछनीय है, डिवीजनल एकाउंटेंट/डीएओ-II द्वारा पीसी-16 में छूट के दावे के लिए पंजीकरण मोड्यूल में स्थान दिया गया है। डिवीजनल एकाउंटेंट ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और अनुक्रमांक संख्या उसके लिए दिये गये स्थान पर भरनी है। पीसी-16 में छूट के दावे के संबंध में डिवीजनल एकाडंटेंट/डीएओ-II के विवरणों की विधिवत जाँच की जानी है।

(v) अभ्यर्थियों को अपने कैडर कंट्रोलिंग कार्यालयों, द्वारा पंजीकृत होना है। जिस फोटो को अपलोड किया जा रहा हो वह 1अप्रैल, 2014 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

(vi) यदि किसी कार्यालय विशेष से, पंजीकृत होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी का स्थानांतरण दूसरे कार्यालय में हो जाता है, उसके दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के विषय में मुख्यालय को तुरंत सूचित करें।

5. उपर्युक्त परीक्षाओं के पंजीकरण हेतु विस्तृत निर्देश/चरण,केन्द्रों की सूची सहित संलग्न हैं।

6. इसके,अतिरिक्त, स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (प्रशासकीय) के अध्याय IX में निर्धारित अन्य दूसरी जाँचो को श्रेणी, दावा की गई छूटों आदि जैसी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना के पूर्ण सत्यापन के आलावा विभागध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाना हैं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजे।

भवदीय

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षा फरवरी/मार्च 2014 के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश

अ- अभ्यर्थियों का पंजीकरण (पंजीकरण मोड्यूल)

(1) http://examreg.cag.gov.in/registration/वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(2) प्रणाली कार्यालय कोड और पासवर्ड पूछता है। कृपया उन्हें दर्ज करें। पासवर्ड भेज दिये गये है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन में सारी महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी लाल तारांकन से संकेतित है। प्रणाली आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुमति तब तक प्रदान नही करेगी जब तक कि लाल ताराकंन वाली सारी जानकारी भरी न जा चुकी हो,

(4) यदि अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकरण के ऑन लाइन सीबीटी मोड के अंतर्गत पंजीकृत है तो अखिरी सीबीटी इंडेक्स नंबर दर्ज करें और प्रस्तुत (Submit) बटन दबाये। उसके बाद जैसा पूछा गया हो वैसे आवश्यक स्थान को भरें।

(5) अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व एसओजी परीक्षा दी है और सीबीटी मोड में परीक्षा नहीं दी है, उन्हें अपना एसओजीई इंडेक्स नंबर, र्वा और माह जिसमें वह अखिरी बार बैठे हों भरना होगा और "प्रस्तुत नया पंजीकरण " (Submit New Registastion) बटन को दबायें। उसके बाद जैसा पूछा गया हो वैसे आवश्यक स्थान भरें।

(6) "प्रस्तुत (Submit)" बटन को दबाने से पहले अभ्यर्थियों के विवरण की सूक्ष्म विवेचन कर लें। यदि किसी जानकारी को संशोधित करना हो तो ऐसा करने के लिए "संपादित" (Edit) बटन दबायें। **जब कोई भी जानकारी "संपादित" (Edit) बटन के प्रयोग द्वारा संशोधित/संपादित की जायें तो हस्ताक्षरित फोटो को "ब्राउस" बटन का प्रयोग करके पुनः अपलोड करें। दोहरायें, यदि किसी भी जानकारी को "संपादित" (Edit) बटन के प्रयोग द्वारा संशोधित/संपादित किया जाये, तो हस्ताक्षरित फोटो को "ब्राउस" बटन का प्रयोग करके पुनः संलग्न/पुनः अपलोड किया जाना चाहिए।** एक बार "पुटि" (Confirm) बटन के प्रयोग द्वारा जानकारी की पुटि होने पर, पंजीकरण के स्तर पर संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(7) पुष्टि के बाद, प्रणाली आवेदन को अंतिम मानती है और एसएएस के लिए "एस", राजस्व लेखापरीक्षा के लिए "आर", प्रोत्साहन परीक्षा के लिए "आई", और सीपीडी-I परीक्षा के लिए "सी" उपसर्ग लगाकर अभ्यर्थी का इंडेक्स नंबर जारी करती है।

(8) भविष्य में पत्राचार के लिए इंडेक्स नंबर नोट कर लेना चाहिए और विंडो बंद कर दें।

(9) यदि वैकल्पिक जानकारी जैसे अभ्यर्थियों का ई मेल पता और मोबाइल नंबर भरी गई हों तो यह प्रवेश पत्र के जारी तथा प्राप्त करने और परीक्षा हाल में प्रवेश करने से संबंधित संदेश भेजने को सुगम बनाने में सहायक होगा।

(10) प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। नवंबर 2010 से एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल छः प्रयास ही अनुमेय हैं। हालकि वह अभ्यर्थी जो कि पूरे छह प्रयास कर चुके हैं एवं एसएएस परीक्षा के पांच परीक्षाओं में छूट/उत्तीर्ण हो चुके हैं को चार अतिरिक्त

अवसर तुंरत अनुक्रमिक परीक्षा से प्रारंभ होंगे एवं 4 क्रमांगत एसएएस परीक्षा के परणामों के पश्चात रद्द हो जायेगे।

(ब) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन (एडमिन मोड्यूल)

1. विभागाध्यक्ष को छूट की अनुमति सहित एमएसओ (प्रशासन) के अध्याय 9 के अनुसार प्रयोग किये जाने की आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से पूरी जाँच करनी चाहिए।

2. http://examreg.cag.gov.in/cag_admin "वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

3. प्रणाली यूज़रआईडी और पासवर्ड पूछेगी। यूज़र आईडी "Cag" है, पासवर्ड अलग से भेजे जा रहे हैं। कृपया उसे भरें। विभागाध्यक्ष यूजर आई डी और पासवर्ड बदल सकते हैं।

4. विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण देख सकते हैं। प्रणाली उस तिथि तक प्राप्त आवेदनों की संख्या को उनके इंडेक्स नंबर के साथ दिखाती है।

5. विभागाध्यक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध छूट मैट्रिक्स और पंजीकरण संख्या को दबाकर अभ्यर्थी द्वारा दावा की गई छूट का ऑन-लाइन सत्यापन कर सकते हैं।

6. विभागाध्यक्ष "संपादन" (Edit) बटन के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी के विवरण के सत्यापन के बाद कोई संशोधन हो तो उसके बाद "प्रस्तुत" (Submit) बटन दबायें। इससे अभ्यर्थी के आवेदन का विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन पूर्ण होगा अर्थात परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का अनुमोदन।

7. अभ्यर्थी "प्रतीक्षा" मोड के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। उसकी अभ्यर्थिता या तो "अनुमोदित" या "अस्वीकृत" होनी चाहिए। "प्रतीक्षा" मोड में अभ्यर्थी, अंतिम तिथि को स्वतः ही "अस्वीकृत" हो जायेगे।

भवदीय

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

अगस्त 2014 एस.ए.एस./ आर.ए/आई/सीपीडी-I परीक्षा के लिए केन्द्रों की सूची

एस.ए.एस./आर.ए/प्रोत्साहन/ सीपीडी-I परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. एजवाल
4. इलाहाबाद
5. बैंगलुरू
6. भोपाल
7. भुवनेश्वर
8. चण्डीगढ
9. चैन्ने

भुवनेश्वर में कटक

10. देहरादून
11. गोवा
12. गैंगटोक
13. गोरखपुर
14. ग्वालियर
15. गुवहाटी
16. हैदराबाद
17. इम्फाल
18. जयपुर
19. जम्मू
20. कोच्चि
21. कोलकाता
22. कोहिमा

चंडीगढ में कपूरथला
त्रीशूर में कोजीखोडे

23. लखनऊ
24. मुम्बई

24\. मदुरै

26 नागपुर

27\. नई दिल्ली

28\. पुणे

29. पटना

कोलकाता में पोर्टब्लेयर

30. रांची
31. रायपुर
32. राजकोट
33. शिलांग
34. शिमला
35. श्रीनगर
36. त्रीशूर
37. तिरूवनन्तपुरम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

पत्र संख्या.251 / प्र.नि.(परीक्षा)/परिणाम/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I
फरवरी-2014 का हिन्दी संस्करण

दिनांकः- /03/2014

2014 का परिपत्र संख्या 6

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/ एनएएए, शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- फरवरी/मार्च, 2014 पूरक एस.ए.एस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं का परिणाम

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि 25-02-2014 से 04-03-2014 तक आयोजित की गई पूरक एस.ए.एस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं का परिणाम घोषित हो चुका है। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया परिणाम तथा गणना कार्ड निम्नलिखित वेब लिंक, http:// examreg. cag.gov. in/ cag_admin/ और http://saiindia. gov.in/ english/home/about_us/Other Wings/Examination/ Result/Result. html से डाउनलोड करें।

यूजर आईडी तथा पासवर्ड वही है जैसा अभ्यर्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्षों को भेजा गया था। हस्ताक्षरित ठोस प्रति अलग से भेजी जा रही है।

भवदीय,
हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली - 110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या.130/02-परीक्षा/कार्यक्रम/एसएएस/आरए/
आई/सीपीडी-I/अगस्त-2014

दिनांकः- 28-02-2014

2014 का परिपत्र संख्या 5

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी विभागाध्यक्ष
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/ एनएएए, शिमला, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

वियः- अगस्त 2014 एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परिक्षाओं का आयोजन।

महोदय/महोदया,

जैसा कि परीक्षा अनुभाग के पत्र संख्या 77/02-परीक्षा/कार्यक्रम/ एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I/अगस्त-2014 दिनांक 31-01-2014 के माध्यम से जारी 2014 के परिपत्र संख्या 02 द्वारा पहले ही बताया जा चुका है, अगली वार्कि/मुख्य एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाऐं अगस्त 2014 में आयोजित की जायेगी। उपरोक्त परीक्षा के लिए पंजीकरण अप्रैल 2014 के पहले सप्ताह से आरंभ करने की योजना बनाई गई है।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेंजे।

भवदीय,
हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

9.	जम्मू एवं कश्मीर	हाँ	--	--	--
10.	झारखण्ड	--	--	--	हाँ
11.	कर्नाटक	हाँ	--	--	--
12.	केरल	--	हाँ	--	--
13.	मध्य प्रदेश	हाँ	--	--	--
14.	महाराट्र	हाँ	--	--	--
15.	मणिपुर	हाँ	--	--	--
16.	मेघालय	हाँ	--	--	--
17.	मिजोरम	हाँ	--	--	--
18.	नागालैण्ड	हाँ	--	--	--
19	उड़ीसा	--	--	--	हाँ
20.	पंजाब	हाँ	--	--	--
21.	राजस्थान	--	--	--	हाँ
22.	सिक्किम	--	--	--	हाँ
23.	तमिलनाडु	--	--	हाँ	--
24.	त्रिपुरा	हाँ	--	--	--
25	उत्तर प्रदेश	हाँ	--	--	--
26.	उत्तराखण्ड	हाँ	--	--	--
27.	पश्चिम बंगाल	हाँ	--	--	--

(स) लेखा एवं हकदारी कर्मचारियों के लिए एस ए एस (लेखापरीक्षा) :- लेखा एवं हकदारी कर्मचारियों के लिए लेखा एवं हकदारी कार्यालयों से नये अभ्यर्थियों को एस ए एस (लेखापरीक्षा) 2014 में बैठने की अनुमति नहीं है। तथापि ऐसे वर्ग "ब" तथा "स" कर्मचारियों जो पूर्व वर्ों में एस ए एस (लेखापरीक्षा) में पहले भाग ले चुके है एवं अभी कुछ प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने बाकी है तथा उनके अवसर भी पूर्ण नहीं हुए है, को एस ए एस (लेखापरीक्षा) अगस्त, 2014 में बैठने की अनुमति है। सभी कर्मचारियों को एस ए एस (लेखापरीक्षा) अगस्त, 2014 में बैठने की अनुमति केवल तभी होगी जब वे लिखित में इस आशय का वचन-पत्र देगें कि एस ए एस (लेखापरीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दो वर्ों के अन्दर लेखा परीक्षा कार्यालय के लिए अन्तरण (switch over) करेगें। यह वचन-पत्र अभ्यर्थियों से एसएएस (लेखापरीक्षा) 2014 परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व प्राप्त कर लिया जाये।

भवदीय,
हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

सं.123/45-परीक्षा/परिपत्र/अग.13 /2010 (खण्ड-III)
दिनांकः 25-2-2014

परीक्षा अनुभाग
2014 का परिपत्र संख्या 04

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./ एनएएए शिमला/आई.सी.आई.एस ए.नोएडा, एवं
निदेशक (कार्मिक)

वियः - अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा /सीपीडी परीक्षा अगस्त 2014।

महोदय/महोदया,

अगस्त 2014 में अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन / सीपीडी परीक्षाएं निम्नलिखित कार्यालयों में आयोजित करने का निर्णय किया गया हैः-

(अ) लेखापरीक्षा कार्यालय

(i) राजस्व लेखा परीक्षा (आरएई) और सीपीडी-I परीक्षा सभी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(ii) अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा (एसएएस) परीक्षा सभी कार्यालयों में (सभी श्रेणियों के लिए) आयोजित की जाएगी।

(ब) लेखा एवं हकदारी कार्यालयः

(i) प्रोत्साहन परीक्षा (आईई) और सीपीडी-I परीक्षा सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(ii) अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगीः

क्र.सं.	**ले. एवं हक. कार्यालय का नाम**	**सभी श्रेणी**	**केवल अ.जा. एवं ज.जा. के लिए**	**केवल अ.जा. के लिए**	**परीक्षा का आयोजन न करना**
1	आन्ध्र प्रदेश	--	हां	--	--
2.	अरूणाचल प्रदेश	हाँ	--	--	--
3.	असम	हाँ	--	--	--
4.	बिहार	हाँ	--	--	--
5.	छत्तीसगढ	हाँ	--	--	--
6.	गुजरात	हाँ	--	--	--
7.	हरियाणा	--	--	हाँ	--
8.	हिमाचल प्रदेश	हाँ	--	--	--

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

सं.. 81/45-परीक्षा/परिपत्र/फरवरी-2014/पूरक/2010 (खण्ड-III)
दिनांकः 04-02-2014

2014 का परिपत्र संख्या 03

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय,
आर.टी. आई./ आर.टी.सी./ एन.ए.ए.ए. शिमला/आई.सी.आई.एस.ए, नोएडा एवं निदेशक (कार्मिक)

विायः- फरवरी/मार्च 2014 अनुपूरक एसएएस /आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र।

महोदय/महोदया

25-02-2014 से 04-03-2014 तक आयोजित होने वाली फरवरी/मार्च 2014 अनुपूरक एसएएस /आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र तैयार हैं। तथा 04-02-2014 से 17-02-2014 तक निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किये जा सकते है। प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे तथा अभ्यार्थी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डाउनलोडिंग अनुमत नहीं है। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना वर्तमान का पासपोर्ट साइज का फोटो ग्राफ जो कि 1 नवंबर 2013 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, चिपका कर उस पर अपने हस्ताक्षर करें। प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्रशासन के प्रभारी अधिकारी वरि. प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। यह दो प्रतियों में है, एक प्रति अभ्यर्थी के लिए है तथा दूसरी कार्यालय अभिलेख के लिए है (कार्यालय प्रति)। प्रवेश पत्रों का प्रिन्ट एक क्लिक में 25 प्रवेश पत्र निम्न मार्ग से लिया जा सकता है।

- Link http://examreg.cag.gov.in/cag.admin

- अभ्यर्थता के अनुमोदन के लिए पूर्व में सूचित "यूजर ID तथा HOD Password" का प्रयोग करें।
- लॉग इन के बाद, मीनू बार में आने वाले एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I अभ्यर्थियों पर क्लिक करे।
- 25 प्रवेश पत्र प्रिन्ट करने के लिए "हाइपर लिंक" 0_-24,25_49 - - - क्लिक करें।
- एक प्रवेश पत्र का प्रिन्ट लेने के लिए अभ्यर्थी के इंडेक्स नंबर पर क्लिक करें।

प्रवेश पत्रों पर उपलब्ध स्थान पर वरि. प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी (प्रशासन) के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय
हस्ता/
(कर्ण सिह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली - 110124

परीक्षाअनुभाग

संख्या. 77/02-परीक्षा/कार्यक्रम/एसएएस/आरए/
आई/सीपीडी-I/अगस्त-2014

दिनांकः- 31-01-2013

2014 का परिपत्र संख्या 2

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/ एनएएए, आईसीआईएसए एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- वार्षिक/मुख्य 2014 अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों का पात्रता मानदंड।

महोदय/महोदया,

सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के पैरा 9.2.6 में उपलब्ध प्रावधान में छूट से संबंधित स्टाफ नियुक्ति विंग के पत्र संख्या 36-स्टाफ नियुक्ति-I /18-2010/केडब्ल्यू दिनांक 15-01-2014 के माध्यम से जारी परिपत्र संख्या 03-स्टाफ (नियुक्ति.- I)/2014 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि अगली वार्षिक/मुख्य एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाऐं अगस्त 2014 में आयोजित की जायेंगी। उक्त वार्षिक/मुख्य 2014 परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता का मानदंड तदनुसार निश्चित किया जाये।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेंजे।

भवदीय,

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफरमार्ग नई दिल्ली।

फरवरी/मार्च 2014 पूरक एस.ए.एस./आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं की डेटशीट

दिनांक/दिन	पूर्वाहन सत्र (9 : 00 से 13 : 30)	अपराहन सत्र (14 : 00 से 18 : 30)
25 02- 2014 मंगलवार	पी.सी. - 1 (1पेपर)	आरएई-1 एवं आईई -1, पीसी -27,28,29 (5 पेपर)
26-02- 2014 बुधवार	आईई.- 2 (1पेपर)	पी.सी. -8,9,10,11,एवं 12, (5 पेपर)
27-02-2014 बृहस्पतिवार	पी. सी. - 13,14 एवं 15 (3 पेपर)	पी. सी. - 3 एवं आईई -3 (2 पेपर)
28-02-2014 शुक्रवार	पी.सी.- 4 एवं आईई-4 (2 पेपर)	पी.सी.- 16,17,18,19 एवं 20 (5 पेपर)
1-03-2014 शनिवार	पी.सी.- 21,22,23,24,25 एवं 26, आरएई -4 से आरएई -9 (12 पेपर)	आरएई -2 एवं आरएई -3 (2 पेपर)
2-3-2014 रविवार	अवकाश	अवकाश
3-3-2014 सोमवार	पीसी-2 (1 पेपर)	सी - 2 (1 पेपर)
4-3-2014 मंगलवार	पीसी- 5,6,7 (3 पेपर)	सी - 1 (1 पेपर)

बैच टाईमिंगस

दिनांक	पूर्वाहन सत्र		अपराहन सत्र	
	बैच - I	बैच - II	बैच - III	बैच - IV
25-02-2014 मंगलवार	9 : 00 से 11 : 30	----	14 : 00 से 16.: 00	16 : 30 से 18 : 30
26-02-2014 से 04-03-2014	9 : 00 से 11 : 00	11 : 30 से 13 : 30	14 : 00 से 16 : 00	16 : 30 से 18 : 30

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

2014 का परिपत्र सं.1

सं /45- परीक्षा /परिपत्र/फरवरी/मार्च-2014/पूरक/2010(खण्ड-III)

दिनांकः- 24-01-2014

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए,शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- फरवरी/मार्च 2014 में आयोजित होने वाली पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) /राजस्व लेखापरीक्षा (आरए)/प्रोत्साहन (आई)/सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी-I) परीक्षाओं के लिए डेट शीट।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के दिनांक 30-12-2013 को 2013 के परिपत्र संख्या 22 के माध्यम से जारी पत्र संख्या 1584/45-परीक्षा/पूरक/फरवरी मार्च 2014/2010 (खण्ड- III) की निरंतरता में यह बताया जाता है कि संलग्न डेटशीट के अनुसार पूरक एसएएस /आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाऐं 25-02-2014 से 04-03-2014 तक आयोजित की जायेगी। उक्त परीक्षा में बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित कर दिया जाये।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजे।

भवदीय

संलग्नकः- डेटशीट

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)